लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 499

दिनांक 06.12.2023 को उत्तर दिए जाने के लिये

शिल्प संकुलों की स्थापना

499. श्री जी.सेल्वमः
श्री धनुष एम. कुमारः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विशेषकर तमिलनाडु में कितने शिल्प संकुल प्रचालित हैं और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त संकुलों में कितने शिल्पकार कार्य कर रहे हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान शिल्प संकुलों की स्थापना के लिए प्रदान की गई/उपयोग की गई वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रुग्ण और बंद पड़े संकुलों और उनकी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और उक्त संकुलों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने और बंद संकुलों को पुनर्जीवित करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में और अधिक शिल्प संकुलों की स्थापना करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्रीमती दर्शना जरदोश)

(क) एवं (ख): विगत तीन वर्षों के दौरान कुल 65 कलस्टरों को ग्रहण किया गया है जिनमें से 03 कलस्टर तमिलनाडु में है। इसके अतिरिक्त, कलस्टरों के निर्माण के लिए, वर्ष 2020-21 से कलस्टर कारीगरों के समग्र विकास के लिए कारीगर आधारित उत्पादक कंपनियों का सूत्रपात किया गया है। अभी तक, अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के तहत निर्यातोन्मुख कलस्टरों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला कलस्टर, पर्यटन स्थलों एवं आकांक्षी जिलों को लिंक करने वाले कलस्टरों को कवर करते हुए देश भर में (तमिलनाडु में 03 सहित) 165 उत्पादक कंपनियों का निर्माण किया गया है। अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के तहत कवर किए गए लाभार्थियों और विगत तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान उन्हें प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा **अनुबंध-I** पर है।

(ग) एवं (घ): वर्ष 2019-20 में कलस्टर गतिविधियों के आकलन के लिए देश भर में मूल्यांकन संचालित किए गए हैं और कोई कलस्टर बंद नहीं किया गया है। मूल्यांकन रिपोर्ट की सिफ़ारिशों के अनुसार, सरकार ने आधार से जुड़े पहचान कार्ड प्रदान करने, मुद्रा ऋण के माध्यम से कारीगरों को सुविधा प्रदान करने और सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) पर कारीगरों को लाने और उन्हें ई-वाणिज्य बाज़ार के बारे में अवगत कराने के लिए देश भर में चौपाल/शिविर आयोजित किए हैं। विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय द्वारा हस्तशिल्प क्षेत्र में शामिल कलस्टर कारीगरों, उद्यमियों, गैर सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों को संवेदनशील बनाने की दृष्टि के साथ कार्यशाला सह सेमिनार आयोजित किए गए हैँ। इसके अतिरिक्त, हेल्पलाइन केंद्र की स्थापना द्वारा कारीगरों की समस्याओं को सुलझाने की पहल की गई है।

साथ ही, संशोधित अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीवाई) उत्पादक कंपनियों के निर्माण और डिजाइन एवं तकनीकी विकास कार्यशाला, टूल किटों के वितरण, शिल्प प्रदर्शन कार्यक्रम, सेमिनार जैसे आवश्यकता आधारित इंटरवेंशन प्रदान करने के माध्यम से देश भर में व्यवहार्य शिल्प कलस्टरों को समर्थन प्रदान करने की ओर परिकल्पित है ताकि उन्हें वित्तीय मुख्यधारा में शामिल किया जा सके।

(ङ) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय मौजूदा कलस्टरों को पहचान कर कारीगरों की आवश्यकताओं के आधार पर उपयुक्त इंटरवेन्शन प्रदान करने के द्वारा उन्हें सुदृढ बनाता है।

भारत सरकार के खिलौनों संबंधी दिशा-निर्देशों की राष्ट्रीय कार्य योजना के अनुरूप, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय खिलौना शिल्प कारीगरों के सतत विकास के लिए खिलौना कलस्टरों को आवश्यकता आधारित इंटरवेन्शन प्रदान कर रहा है।

अनुबंध-I

दिनांक 06.12.2023 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 499 के भाग (क) एवं (ख) के संदर्भ में विनिर्दिष्ट अनुबंध।

वर्ष 2020-2023 के दौरान कवर किए गए लाभार्थियों तथा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	देश भर में प्रदत्त वित्तीय सहायता (करोड़ रुपए में)	देश भर में लाभार्थियों की कुल संख्या	तमिलनाडु राज्य में लाभार्थियों की कुल संख्या
1.	2020-21	22.77	19,190	360
2.	2021-22	41.48	45,985	1,572
3.	2022-23	38.10	23,060	374
4.	2023-24	48.01	21,716	385
	कुल	**150.36**	**1,09,951**	**2,691**

*****